राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 3(3)साप्र/6/2008 पार्ट जयपुर, दिनांक – 4 JUL 2018

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल महोदय उन समस्त शक्तियों का, जो उन्हें इस निमित्त सक्षम बनाती है, का प्रयोग करते हुए राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 में और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :– (I) इन नियमों का नाम राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि (संशोधन) नियम, 2018 है।
   (II) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. उक्त नियमों में विद्यमान प्रस्तावना को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है :–
   "राजस्थान राज्य में 25 जून 1975 से मार्च 1977 के दौरान घोषित आपातकाल में राजनैतिक या सामाजिक कारणों/आपातकाल का विरोध करने के कारण मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. की धाराओं 107, 116 एवं 151 के अन्तर्गत देश के किसी भी कारागार मे निरूद्ध राज्य के मूल निवासियों को पेंशन व चिकित्सा भत्ता देने हेतु राजस्थान के राज्यपाल, उन समस्त शक्तियों का, जो उन्हें इस निमित्त सक्षम बनाती हैं, प्रयोग करते हुए निम्न लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–"

3. उक्त नियमों में विद्यमान नियम 7 में निम्नानुसार संशोधन एवं प्रावधान जोडा जाता है, अर्थात् :–
   "7.2 आपातकाल के दौरान आपातकाल का विरोध करने के कारण सी.आर.पी.सी. की धाराओं 107, 116 एवं 151 के तहत निरूद्ध रहे आवेदनकर्ता को आपातकाल का विरोध करने के कारण से सी.आर.पी.सी. की धाराओं 107, 116 एवं 151 के अन्तर्गत कम से कम एक माह तक निरूद्ध होने संबंधित प्रकरण में न्यायालय आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। न्यायालय आदेशों की प्रति उपलब्ध नही होने की स्थिति में आवेदनकर्ता को निरूद्ध करने के संबंध में न्यायालय में प्रस्तुत परिवाद (इस्तगासा) की प्रति एवं आवेदनकर्ता का बन्दी रहने का प्रमाण पत्र, व्यक्ति जहां बन्दी रहा हो, यथा जेल/पुलिस थाना का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, जेल की स्थिति में जेल अधीक्षक तथा पुलिस थाने की स्थिति में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। संबंधित जिला कलक्टर उक्त न्यायालय आदेश की प्रति अथवा परिवाद (इस्तगासा) एवं जेल प्रमाण पत्र की पुष्टि के बाद, प्रकरण को जिला स्तर की समिति के समक्ष रखेंगे।

   उक्त दस्तावेजों के अभाव में सी.आर.पी.सी. की धाराओं 107, 116 एवं 151 के तहत निरूद्ध रहे आवेदनकर्ता को किन्ही दो मीसा/डी.आई.आर. बंदियों से निर्धारित प्रारूप में ऐसा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे इसकी पुष्टि होती हो कि शपथ पत्र देने वाले मीसा/डी.आई.आर. बंदियों के निरूद्धी काल में आवेदनकर्ता भी कम से कम एक माह तक आपातकाल का विरोध करने के कारण सी.आर.पी.सी. की धाराओं 107, 116 एवं 151 के अन्तर्गत निरूद्ध रहा हो। ऐसे शपथ पत्र का प्रमाणीकरण साक्ष्य के रूप में संबंधित विधानसभा/लोकसभा के वर्तमान अथवा भूतपूर्व सदस्य से भी कराया जाना अनिवार्य होगा।

   मिथ्या शपथ पत्र पाए जाने पर संबंधित मीसा/डी.आई.आर. बंदियों एवं आवेदनकर्ता की पेंशन निरस्त कर भुगतान की गई समस्त राशि वसूल की जा सकेगी।"

क्रमश............(2)

4. उक्त नियमों में विद्यमान नियम 8 (III) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित एवं नया नियम 8(IV) जोडा जाता है, अर्थात :–

(IV) "सी.आर.पी.सी. बन्दी" से अभिप्रेत है राजस्थान के अधिवासी, जिनको वर्ष 1975–77 के दौरान आपातकाल का विरोध करने के कारण सी.आर.पी.सी. की धारा 107, 116 एवं 151 के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया हो, "लोकतंत्र सैनानी" कहलाएंगे।"

(IV) "सहायता" से इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय पेंशन व चिकित्सा सहायता अभिप्रेत है।

5. उक्त नियमों में विद्यमान नियम 9 (I) (II) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात :–

"(I) वर्ष 1975–77 के दौरान मीसा/डी.आई.आर. अथवा सी.आर.पी.सी. धाराओं 107, 116 एवं 151 अन्तर्गत राजनैतिक या सामाजिक कारणों/आपातकाल का विरोध करने के कारण बन्दी बनाये गये व्यक्ति को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर. अथवा सी.आर.पी.सी. बंदियों की पत्नी/पति को जीवन पर्यन्त या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए पेंशन, बशर्ते कि प्रार्थी इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह वर्ष 1975–77 के दौरान मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. धाराओं 107, 116 एवं 151 के अन्तर्गत राजनैतिक या सामाजिक कारणों/आपातकाल का विरोध करने के कारण से बन्दी बनाये जाने के कारण किसी अन्य राज्य से पेंशन/आर्थिक सहायता प्राप्त नही कर रहा हो।

(II) वर्ष 1975–77 के दौरान मीसा/डी.आई.आर. अथवा सी.आर.पी.सी. धाराओं 107, 116 एवं 151 अन्तर्गत राजनैतिक या सामाजिक कारणों/आपातकाल का विरोध करने के कारण बन्दी बनाये गये व्यक्ति को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर. अथवा सी.आर.पी.सी. बंदियों की पत्नी/पति को चिकित्सा सहायता, बशर्ते कि प्रार्थी इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह वर्ष 1975–77 के दौरान मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. धाराओं 107, 116 एवं 151 के अन्तर्गत राजनैतिक या सामाजिक कारणों/आपातकाल का विरोध करने के कारण से बन्दी बनाये जाने के कारण किसी अन्य राज्य से चिकित्सा सहायता प्राप्त नही कर रहा हो।"

6. उक्त नियमों में विद्यमान नियम 10 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात :–

"**<u>मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों को पेंशनः–</u>** इन नियमों के अन्तर्विष्ट उपबन्ध के अध्यधीन को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों अनुसार पेंशन देय होगी। जिन व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि (30 अप्रेल, 2014) तक संबंधित जिला कलेक्टर के पास प्राप्त हो जावें, उनमें से जिन व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृत होगी वह दिनांक 01 जनवरी, 2014 से देय होगी :–

"(क) ऐसे मीसा/डी.आई.आर. एवं सी.आर.पी.सी. बन्दी व्यक्ति जो उक्त कानून के अधीन कम से कम एक माह तक जेल में रहा हो।"

"(ख) इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बन्दी की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी/पति द्वारा मृत्यु दिनांक से तीन माह के भीतर आवेदन करने पर पेंशन, मृत्यु दिनांक से देय होगी।"

"(ग) पेंशन की दर :– पैरा 10(क) में वर्णित सभी मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों की पत्नी/पति को रूपये 12000/–(अक्षरे रूपयें बारह हजार मात्र) मासिक पेंशन देय होगी।"

क्रमश.....(3)

"(घ) यह और कि किसी मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों की पत्नी/पति, पेंशनर को पेंशन के साथ रूपये 1,200/–(अक्षरे रूपये एक हजार दो सौ मात्र) प्रतिमाह चिकित्सा सहायता नकद देय होगी, जिसके लिए किसी प्रकार के चिकित्सा व्यय पुनर्भरण बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

"(ण) ऐसे मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों को एवं दिवंगत मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों की पत्नी/पति को उक्त चिकित्सा सहायता देय नही होगी जो राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम (निगम व बोर्ड)/केन्द्र सरकार में नियोजित है/नियोजित थे अथवा इन्हें चिकित्सा सहायता कहीं ओर से प्राप्त हो रही है।"

"(च) राज्य सरकार, स्व–विवेकानुसार :–
इन नियमों में यथा उपबन्धित के सिवाय किसी मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदी द्वारा किया गया सहायता का कोई दावा इस नियम के अधीन स्वीकार नहीं किया जावेगा।"

7. उक्त नियमों में विद्यमान नियम 11 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :–
"इन नियमों के अधीन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पेंशन पात्रता/अपात्रता के संबंध में अनुशंसा जिला स्तर पर निम्न समिति द्वारा की जाएगी :–

(i) जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
(ii) जिले के समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
(iii) जिला जेल अधीक्षक	सदस्य

समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पेंशन केवल उन व्यक्तियों को ही प्राप्त हो जो मीसा/डी.आई.आर. कानून अथवा सी.आर.पी.सी. की धाराओं 107, 116 एवं 151 अन्तर्गत राजनैतिक या सामाजिक कारणों से/आपातकाल का विरोध करने के कारण बन्दी हुए थे तथा उनका तत्समय पुलिस रिकार्ड में कोई पृथकतः आपराधिक/असामाजिक गतिविधियों का इतिहास नहीं था अर्थात पेंशन देते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि यह पेंशन मूलतः ऐसे व्यक्तियों को दी जाऐ जो राजनैतिक या सामाजिक कारणों/आपातकाल का विरोध करने के कारण से मीसा/डी.आई.आर. कानून अथवा सी.आर.पी.सी. की धाराओं 107, 116 एवं 151 अन्तर्गत बन्दी हुए थे तथा वे मूलतः आपराधिक चरित्र के नहीं थे।"

इन नियमों के अधीन उक्त जिला समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा।

"11.1 उक्त नियमों के अन्तर्गत जिन मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों को पेंशन स्वीकृत की गई हैं, उन्हें संबंधित जिला कलक्टर द्वारा परिचय पत्र भी प्रदान किये जायेंगे। इन परिचय पत्रों में इन्हें देय सुविधाओं का अंकन होगा।"

"11.2 उक्त नियमों के अन्तर्गत जिन मीसा/डी.आई.आर./सी.आर.पी.सी. बंदियों को पेंशन स्वीकृत की गई है, उन्हें राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी एवं 15 अगस्त पर होने वाले जिला स्तरीय समारोह में संबंधित जिला कलक्टर द्वारा ससम्मान आमंत्रित किया जावेगा।"

क्रमश.....(4)

8. उक्त नियमों में विद्यमान नियम 18(1) को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात् :–

"(1) इन नियमों के अधीन पेंशन के लिए आवेदन–पत्र (सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटो सहित) संलग्न प्रपत्र में जिन आधारों पर पेंशन का दावा किया गया हो उसका पूरा ब्यौरा देते हुए तथा जिन आधारों पर पेंशन का दावा किया गया हो उनसे संबंधित नियम 7 में उल्लेखित प्रमाण पत्र/आदेश/दस्तावेज संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे, जो ऐसे प्रमाण–पत्रों/आदेश/दस्तावेज की पुष्टि के बाद, प्रकरण को जिला स्तर की समिति के समक्ष रखेंगे।"

राज्यपाल के आदेश से,

2.7.2018

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव/निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. समस्त निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान।
3. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्तगण, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. वित्त (व्यय–2) विभाग।
8. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
10. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
11. अधीक्षक, केन्द्रीय राज्य मुद्रणालय, जयपुर को आज ही राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव